सूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....रो.....तक

जिला....., सं0....., राज् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

-:: शुद्धि-पत्र ::-

अधोहस्ताक्षरी न्यायालय के रजिस्ट्रेशन अपीलवाद सं0-11/2017 शिवनन्दन यादव बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश ज्ञापांक-2059/विधि, दिनांक-02.08.2023 के अंतिम पारा में टंककीय भूलवश "निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा" के स्थान पर "निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल" टंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश के अंतिम पारा में टंकित "निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल" के स्थान पर "निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा" पढ़ा जाय। आदेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

इस शुद्धि-पत्र को आदेश के साथ रखा जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

सूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

रजिस्ट्रेशन अपीलवाद संख्याः-11/2017

शिवनन्दन यादव.....अपीलार्थी

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

यह रजिस्ट्रेशन अपीलवाद श्री शिवनन्दन यादव, पिता-प्रेमलाल यादव, सा0- मोहल्ला मदनपुर, टोला-जयलालपट्टी, वार्ड नं0-12, थाना+ जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर C.W.J.C No. 11246/2012 में दिनांक 26.08.2016 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा विविध (निबंधन) वाद सं0-55/2001 मसो0 लीलावती लकड़ा बनाम शिवनन्दन यादव में दिनांक 06.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा विपक्षी सं0-02 तथा 03 क्रमशः मसो0 लीलावती वो अमरदीप कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के द्वारा अपीलार्थी के नाम से किये मौजा-भिरखी, खाता (पु0)-4, खाता (नया)-573, खेसरा(पु0)-535, खेसरा(नया0)-1081, रकवा-0-10-0 (दस) धूर भूमि के बिक्री को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मूल रूप से विपक्षी सं0-02 के ससुर तथा विपक्षी सं0-03 के दादा सुन्दर यादव की थी। सुन्दर यादव की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि उनके पुत्र जनार्दन प्रसाद यादव के दखल में आ गया तथा जनार्दन यादव की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी पत्नी मसो0 लीलावती लकड़ा तथा उनके पुत्र अमरदीप कुमार उर्फ मुन्ना कुमार को विरासत के रूप में दखल प्राप्त हुआ। विपक्षी सं0-02 एवं 03 को पैसे की तत्काल आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा अपीलार्थी से सम्पर्क किया गया तथा प्रश्नगत भूमि को खरीदने का आग्रह किया गया, तब अपीलार्थी भी उक्त भूमि को खरीदने के लिए सहमत हुए। तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का

तय मूल्य मो0-33,500/-रू0 विपक्षी सं0-02 एवं 03 को भुगतान किया गया तथा उक्त तय राशि पाने के बाद विपक्षी-02 एवं 03 के द्वारा दिनांक 18.06.2001 को प्रश्नगत भूमि का विक्रय विलेख अपीलार्थी के नाम से निष्पादित करते हुए उस पर उन दोनों के द्वारा अपना हस्ताक्षर किया गया। तत्पश्चात प्रक्रियानुसार विक्रय विलेख में वर्णित प्रश्नगत भूमि मूल्य को प्राप्त करने की सहमति विपक्षी सं0-02 एवं 03 के द्वारा अपर निबंधक मधेपुरा के समक्ष दी गई। उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात अपीलार्थी का खरीदगी भूमि पर शान्तिपूर्वक दखल-कब्जा कायम हो गया। दिनांक 04.09.2001 को गुप्त उद्देश्य एवं अवैध लाभ के लिए विपक्षी सं0-02 के द्वारा समाहर्ता, मधेपुरा के समक्ष गलत बयानी करते हुए वाद दायर किया गया कि विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व उन्हें तय मूल्य / राशि नहीं दी गई तथा उक्त विक्रय विलेख को रद्द करने का अनुरोध किया गया। विज्ञ समाहर्त्ता-सह-जिला निबंधक, मधेपुरा के द्वारा वास्तविक तथ्यों तथा रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों को संज्ञान में लिये बिना दिनांक 06.02.2012 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के नाम से निष्पादित बिक्रीनामा को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया कि विपक्षी सं0-02 के द्वारा बिक्रीनामा पर अपने हस्तलिपि में लिखा गया कि उनके द्वारा भूमि का पूरा मूल्य प्राप्त किया गया तथा उनके द्वारा अपना हस्ताक्षर भी अंकित किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि इस आधार पर बिक्रीनामा को रद्द किया गया है कि विपक्षी सं0-02 अनुसूचित जनजाति की है तथा प्रश्नगत भूमि के विक्रय से पूर्व समाहर्त्ता से अनुमति नहीं प्राप्त की गई है, किन्तु विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया कि मसो0 लीलावती लकड़ा (विपक्षी सं0-02) स्व0 जनार्दन प्रसाद यादव की पत्नी थी, जो अनुसूचित जनजाति के नहीं थे। प्रश्नगत भूमि स्व0 जनार्दन प्रसाद यादव की थी तथा उनकी मृत्यु के वाद विरासत में उनकी पत्नी तथा पुत्र को प्राप्त हुई। उक्त भूमि मसो0 लीलावती लकड़ा के द्वारा अर्जित नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि नहीं थी। अतः उक्त भूमि को खरीद-बिक्री से पूर्व किसी भी प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक-1121-2 दिनांक 06.12.2019 को उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मसोमात लीलावती लकड़ा के प्रश्नगत भूमि का खतियान उनके ससुर स्व0 सुन्दर यादव के नाम से अंकित है। उनके पति यादव जाति के हैं आवेदिका के पति की पैतृक प्रश्नगत भूमि अद्यतन हस्तांतरित होकर आवेदिका के नाम पर दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए पति के जमीन को बिक्री करने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदिका के पति जाति के यादव हैं। उनका कहना है कि वर्तमान कानून के अनुसार भूमि के बिक्री से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार विज्ञ समाहर्त्ता के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर

जाकर पारित किया गया उक्त आदेश गैर कानूनी, स्वेच्छाचारी तथा भेदभावपूर्ण है। तदालोक में अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को खंडित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-02 लीलावती लकड़ा की ओर से दाखिल लिखित जबाव में उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी को रूपये की जरूरत हुई तो अपीलार्थी शिवनन्दन यादव से जमीन बिक्री की बात तय हुई तथा केवाला का मजमून लिखा गया। उस समय विपक्षीगणों के द्वारा अपीलार्थी को केवाला का कुल जरसम्मन अदा करने के लिए कहा गया, किन्तु उनके द्वारा रजिस्ट्री होने के बाद एकमुश्त सम्पूर्ण राशि अदाय करने की बात कही। उनकी बातों पर हम विपक्षीगण विश्वास कर केवाला पर अपना हस्ताक्षर और निशान बनायी, लेकिन अपीलार्थी शिवनन्दन यादव ने केवाला रजिस्ट्री होने के बाद एक पैसा भी जरसम्मन (तयराशि) हम विपक्षी को अदा नहीं किये। इस प्रकार शिवनन्दन यादव ने कातिब के द्वारा एक साजिश के तहत केवाला पर निशान लेकर केबाला तामिला करा लिये। विपक्षी का कहना है कि बिना तय राशि भुगतान किये लीलावती लकड़ा से शिवनन्दन यादव के द्वारा दिनांक 18.06.2001 को कराया गया बिक्रीनामा बिल्कुल नाजायज गैर कानूनी है। इसी नाजायज केवाला के कारण प्रश्नगत जमीन पर शिवनन्नदन यादव का कब्जा नहीं हुआ और न है। केवाला की तय राशि कई बार अपीलार्थी से विपक्षी के द्वारा मांगी गई किन्तु उन्होंने ही बताया गया कि केवाला के लिए जिला पदाधिकारी से परमिशन लेना जरूरी था, चूँकि मुताबिक प्रावधान धारा-19 (डी0) परमिशन नहीं लिया गया है। अतः जब तक आपके द्वारा परमिशन का दरखास्त नहीं दिया जाएगा, तब तक जरसम्मन (तय राशि) अदा नहीं करूँगा। विपक्षी का कहना है कि वे उरांव जाति की है, जो अनुसूचित जनजाति में आता है। निम्न न्यायालय में उनके द्वारा अपना जाति प्रमाण-पत्र दिया गया। विपक्षी का कहना है कि इस तरह बिना सक्षम स्वीकृति के शिवनन्दन यादव के द्वारा रजिस्ट्री करा लिया गया, जो काननून नाजायज है। विपक्षी का कहना है कि बी0टी0 एक्ट के तहत जिला पदाधिकारी को यह अधिकार है कि ऐसे नाजायज केवाला को रद्द कर दें। इसी आधार पर समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा दिनांक 06.02.2012 को विविध वाद सं0-55/2001 में समुचित जाँच कर उक्त दस्तावेज को अवैध करार दिया गया। अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही है। तदालोक में विपक्षीगणों के द्वारा प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्त्ता का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/ कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि वादगत भूमि के खतियानी रैयत अनूसूचित जनजाति समुदाय के नहीं थे। प्रश्नगत भूमि विपक्षी मसो0 लीलावती लकड़ा के पति की पैतृक खतियानी भूमि थी, जो बिक्री के

समय तक हस्तांतरित होकर उनके नाम पर दर्ज नहीं हुआ तथा मसो0 लीलावती लकड़ा को उक्त भूमि के विक्रय का अधिकार उनके पति की पैतृक भूमि होने के कारण प्राप्त हुआ। जिस कारण प्रश्नगत भूमि को अनुसूचित जनजाति का खतियानी भूमि नहीं माना जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के आदेश को खंडित करते हुए प्रश्नगत भूमि के विक्रय विलेख को वैध घोषित किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

1/8/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

1/8

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2174 /विधि सहरसा, दिनांक 10-8-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा रजिस्ट्रेशन अपील वाद सं0-11/2017 में दिनांक-07.08.2023 को पारित आदेश एवं शुद्धि-पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- अपर जिला निबंधक, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को उक्त शुद्धि-पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- शिवनन्दन यादव, पिता-प्रेमलाल यादव, सा0-मोहल्ला-मदनपुर, टोला-जयपालपट्टी, वार्ड नं0-12, थाना+जिला-मधेपुरा / मसो0 लीलावती लकड़ा, पति-स्व0 जनार्दन प्रसाद यादव एवं अमरदीप कुमार उर्फ मुन्ना, पिता-स्व0 जनार्दन प्रसाद यादव, दोनों सा0-वार्ड नं0-12; थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को शुद्धि-पत्र की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।